उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–544 / 2025

लाल परिखा यादव.....वादी।

बनाम्

जवाहिर सिंह यादव वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

03.02.2026 वादी की हाजिरी है। वादी की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 05.12.2025 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 वो 02 धारा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित किया गया। जिसमें वादी का कहना है कि मुदई ने यह मुकदमा खिलाफ मुदालेहम वास्ते करने माकूल बॅटवारा ऐराजी संयुक्त बटवारा तलब में से अपने हिस्से की ऐराजी बकदर 1/3 के निस्वद अलग तख्ता कायम कर प्रिलिमिनरी डिग्री पारित कर उसे फाईनल कर दिया जाय के लिए किया है। अर्जी के जमीमा नं0 02 में वर्णित ऐराजी मुदई एवं मुदालेहम के पिता द्वारा मेहनत कर एवं मुदई वों मुदालेहम द्वारा मेंहनत मजदूरी करके जो आमदनी का पैसा बचता था उसी पैसे से उचित जरसन अदाय कर अपने नाम या अपने तीनों लडकों यानी मुदई एवं मुदालेहम के नाम केबाला खरीद कर उसपर खेती–बारी संयुक्त रूप से होता चला आ रहा था। खेती गृहस्थी के अलावा अपने पिताजी शिवनाथ सिंह वो मुदालेहम के द्वारा कहने से मुदई नौकरी करने के लिए बाहर चला गया जहॉ नौकरी पेशा से हुई बचत वो अपने पेदर शिवनाथ सिंह जो कर्ता खानदन इजमाली के थे उनको तथा उनकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान जवाहीर सिंह यादव को बचत वो आमदनी का रूपया जो नौकरी पेशा से होती थी दिया करते थे जिससे संयुक्त रूप से एराजी खरीदगी तीनों भाईयों के नाम होती थी। मन मुदई सेवा निवृत होकर पूरा परिवार पैतृक गॉव नावाडेरा रहने लगा। मन मुदई दुर्भाग्यवश सेवा निवृत होने के बाद लकवा रोग से ग्रसित हो गया तथा चलने फिरने वो कुछ करने से लाचार हो गया जिसका नफा नजायज उठाकर मुदालेह सं0 01 जवाहिर सिंह यादव का नियत खराब हो गई। उन्हें देय दृष्टि से देखने लगे तथा प्रताड़ित करने लगे तब मन मुदई ने पिता की कुल खरीदगी जमीन को अर्जी के जमीमा नं0 02 में दिया गया है उसमें अपना हिस्सा 1/3 की मॉग करने लगा जिस पर मन मुदई एवं मुदालेह सं0 01 वो 02 का यूनिटी ऑफ टाईटिल एवं ज्वाइंटनेश ऑफ पोजेशन संयुक्त चला आ रहा है जिसको मुदई के देने से मुदालेह सं0 01 टाल–मटोल वो झूठा–झूठा बहाना बनाकर देने से इन्कार करने लगे। मुदालेह सं0 01 एवं उनके वारिसान काफी दबंग प्रवृति के आदमी है जिनका संबंध असामजिक व्यक्तियों से है उनलोगों के बल पर जो भी मुदई अपने हिस्से में फसल लगाता है उसे काटने की धमकी देते है। मुदालेह सं0 01 की जमायत काफी कसीर होने वो मन मुदई को

उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

लगातार

03.02.2026

लकवा का रोंगी का फायदा उठाकर तकरारी जमीन को बिना बॅटवारा किये मन मुदई के दश्मनों के हाथ बेचने अथवा उसका नेचर बदलने अथवा मन मुदई को बेदखल करने अथवा नव निर्माण कार्य करने की धमकी देते है जिसे न्याय प्राप्ति के लिए बरूए हुकुम इम्तनाई रोकना निहायत जरूरी हो गया है।

सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोन से यह विदित होता है कि प्रतिवादीगण आज तक उपस्थित नही हुये है। इस वाद में जमीमा नं0 02 अर्जीदावी में से वादी के 1/3 हिस्से का एक अलग तख्ता कायम करने हेतु लाया गया है। वादी के तरफ से दस्तावेज कि छाया–प्रति दाखिल किया गया है। वादी द्वारा इस वाद में प्रतिवादी सं0 01 को निषेधाज्ञा के माध्यम से विवादित भूमि जमीमा नं0 02 के निस्वत यथा–स्थिति कायम रखने की मांग किया गया है। अभिलेख के अवलोकन करने से यंह भी विदित होता है कि प्रतिवादीगण को कारण–पृच्छा सम्मन निर्गत होने के बाद आज तक इस वाद मे उपस्थित नही हुए और यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है अनुपस्थित प्रतिवादीयों द्वारा इस विवादित भूमि के निस्वत छेड–छाड किया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति की संम्भावना है। विवादित एराजी के निस्वत यथा–स्थिति कायम रखना आवाश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि विवादित जमीन को किसी प्रकार छेड–छाड होता रहा तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति की सम्भावना होगी तथा इस वाद का निष्पादन बहुत जटील हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में इस वाद के उभय पक्षों को विवादित जमीन पर यथा–स्थिति कायम रखने तथा विवादित जमीन की प्रकृति को बदलने से प्रतिवादी सं0 01 को इस वाद में उपस्थित होने तक रोका जाता है तथा विवादित एराजी को यथा–स्थिति बनाए रखने हेतु निर्देश दिया जाता है। इस आदेश का प्रभाव वाद के अंतिम निर्णय पर नहीं होगा।

दिनांक– 10.04.2026 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)